न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/28/2021 दायर दिनांक 06.09.2021

उनवान

1. कालूराम पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी।

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 12.10.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:निर्णयः–

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प ग्राम पंचायत तुर्कियाखुर्द में पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा तुर्कियाकलां पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के आराजी संख्या 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1172, कुल किता 12 कुल रकबा 4.14 है0 स्थित है, जो प्रार्थी के 1/2 हिस्सा से रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है प्रार्थी का नाम कालुराम है लेकिन रेवेन्यू रेकार्ड में रतना उर्फ कालुराम दो नाम अंकित कर रखे है जो गलत है।

इसी प्रकार ग्राम तुर्कियाकलां पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द की आराजी नम्बर 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1084, 1085, 1086, 1087, कुल किता 9 कुल रकबा 7.44 है0 स्थित है जो प्रार्थी के 51/344 हि[illegible] खातेदारी में दर्ज है उक्त रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रतन लाल उर्फ कालूराम अंकित कर रखा है जो गलत है उक्त रेकार्ड में रतन लाल हटाया जाना आवश्यक है तथा कालूराम पिता हजारी ही [illegible] जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:48 IST
Reason: SelfAttested

यह की प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि सभी दस्तावेज में कालूराम पिता हजारी जाट अंकित है तथा उर्फ रतनलाल शब्द कहीं अंकित नहीं है लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के दो नाम अंकित कर रखे है जो गलत है। अतः प्रार्थना की कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम रतना उर्फ/रतनलाल उर्फ कालू पिता हजारी जाति जाट के बजाय कालूराम पिता हजारी जाति जाट किया जावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर में जवाब प्रस्तुत कर नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रार्थी ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम तुर्कियाकलां की खाता संख्या 161 व 162 , पहचान पत्र, राशनकार्ड व आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। सहखातेदार भारमल के बयान प्रस्तुत किये व नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। ग्राम पंचायत तुर्कियाखुर्द द्वारा जारी प्रमाण पत्र में रतनलाल उर्फ कालु पिता हजारी व कालु पिता हजारी नाम एक ही व्यक्ति का है व नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का खाता संख्या 161 व 162 में रतना उर्फ कालू पुत्र हजारी जाति जाट दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम कालूराम प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदार के बयान व ग्राम पंचायत तुर्कियाखुर्द के प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा तुर्कियाकलां पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 161 व 162 में दर्ज रतना उर्फ कालू पुत्र हजारी जाति जाट के बजाय कालूराम पुत्र हजारी जाति जाट दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसी[illegible]पासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में [illegible] आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:48 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official